न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी का नाम — मनमोहन मीना RAS

प्रार्थना पत्र सं. 6 /2020 — दायर दिनांक :-27.02.2020

उनवान

तहसीलदार भुसावर बनाम गोपी बगै0

अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 शुद्धि

निर्णय दिनांक :- 18-3-20

तहसीलदार भुसावर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गढी ब्राहम्ण नक्शा लठ्ठा सम्वत् 1985 में आ0 ख0 नं0 साविक 213, 214 , 215 ग्राम गढी ब्राहम्ण की सीमा के बाहर आईलैण्ड के रूप में स्थापित हैं, जो सही है। जिनके नवीन खसरा नम्बर 4/292 रकबा 0.98 है0 , 61/293 रकबा 1.18 है0 । सहवन से नवीन नक्शा सीट सन् 2005 में खसरा नम्बर 4/292 , 61/293, ग्राम गढी ब्राहम्ण की सीमा के अन्दर स्थापित है। जो गलत है। जो ग्राम की सीमा के बाहर आईलैण्ड के रूप में स्थापित होने हैं। इस बावत तहसीलदार भुसावर द्वारा निवेदन किया है

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तामील जरिये नोटिस तहसीलदार भुसावर द्वारा कराई गई। बाद तामील कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार भुसावर को सुना गया।

तहसीलदार भुसावर रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में DILRMP के तहत तहसील में सेग्रीगेशन का कार्य चल रहा है और तहसील को DILRMP योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन किये जाने हेतु आ रही तकनीकी खामियों को दूर करना अनिवार्य है।

अतः DILRMP योजना अन्तर्गत तहसील को आनलाइन करने हेतु अग्रिम आदेश तक अन्तरिम और अस्थाई रूप से तहसीलदार भुसावर द्वारा प्रस्तुत पृष्ठाकित प्रस्ताव अनुसार ग्राम गढी ब्राहम्ण के नक्शा लटठा संवत 1985 में साविक नम्बर 213,214,215 को नक्शा लटठा 1985 के मुताबिक नक्शे में स्थापित करने की स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है यदि इस बावत किसी पक्षकार को आपत्ति हो तो वह सक्षम न्यायालय में वाद/अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे। निर्णय सुनाया गया।

18/3/2020

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर

163/4